



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]
No. 87]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2003/ज्येष्ठ 12, 1925
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2003/JYAISTHA 12, 1925

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2003

सं. एल-7/25(2)/2001-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) की धारा 55 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2001 जिन्हें इसके बाद मूल विनियम कहा जाएगा, में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 कहा जाएगा ।

(1) ये विनियम 1.4.2003 से प्रभावी माने जाएंगे ।

2. खण्ड 3.6 में संशोधन

उत्प्रेरक की गणना के सूत्र को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित समझा जाएगा :

उत्प्रेरक = (वार्षिक निर्धारित लागत - प्राथमिक ऊर्जा प्रभार) ×
(सी.आई.ए. - सी.आई.एन.)/100

× जहां सी.आई.एन. प्राप्त क्षमता प्रभार है तथा सी.आई.एन. प्रतिशत में क्षमता सूचकांक का मानक मूल्य है ।

3. खण्ड 4.4(घ)(2) में संशोधन

ए.वी.ओ.एम.एल.एल. और ए.वी.ओ.एम.बी.एन. की गणना के सूत्र को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित समझा जाएगा :

ए.वी.ओ.एम.एल.एल. = 1/2 ∑ (सी.आई.ए. - सी.आई.एन.) 1999-2000 |ओ.एम.एल.।।

आई. = 1995-1996 |एल.एल.।।

1999-2000	ओ.एम.एस.।
ए.वी.ओ.एम.वी.एन. = $\frac{1}{5} \sum$
= 1995-1996	बी.एन.।

4. खण्ड 4.8 में संशोधन

मूल विनियम के खण्ड 4.8 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

4.8 लाभानुभोगियों द्वारा एच.वी.डी.सी. प्रणाली सहित अंतरक्षेत्रीय परिसम्पत्तियों के ट्रांसमिशन प्रभार को वहन करने का सिद्धांत

दो निम्न स्थित क्षेत्रों द्वारा एच.वी.डी.सी. प्रणाली सहित अंतरक्षेत्रीय परिसम्पत्तियों के ट्रांसमिशन प्रभार 50 : 50 के अनुपात में वहन किए जाएंगे। क्षेत्र के भीतर लाभानुभोगियों से और वसूली करने को सुकर बनाने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों की ट्रांसमिशन प्रणाली के सम्बन्ध में ट्रांसमिशन प्रभारों के साथ अंतरक्षेत्रीय परिसम्पत्तियों के ट्रांसमिशन प्रभारों की 50 प्रतिशत राशि मिलाकर लाभानुभोगियों से वसूल की जाएगी।

ए. के. सचान, सचिव
[विज्ञापन III/IV/150/2003/असा.]

स्पष्टीकारक न्यायन

मूल विनियम के खण्ड 3.6 में उत्प्रेरक की गणना के लिए सूत्र विहित किया गया है। चूंकि प्राप्त प्रभार क्षमता सूचकांक (सी.आई.ए.) और मानक क्षमता सूचकांक के मान हमेशा प्रतिशत में होते हैं तो उत्प्रेरक की राशि का पूर्ण योग प्राप्त करने के उद्देश्य से दिए गए सूत्र द्वारा प्राप्त हुए मान को 100 से विभाजित करना चाहिए। तदनुसार, मूल विनियम के खण्ड 3.6 में संशोधन किया जा रहा है।

2. याचिका सं. 86/2000 अन्तर्राज्यीय संचरण के प्रचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी मानदण्डों के सम्बन्ध में है। आयोग ने अपने दिनांक 21.12.2000 के आदेश द्वारा 1.4.2001 से प्रारम्भ होने वाली टैरिफ अवधि के लिए आधार स्तर पर प्र. एवं अनु. व्यय के परिकलन के लिए आधार वर्षों हेतु प्र. एवं अनु. के वास्तविक आंकड़ों का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। आदेश के अनुसार, आधार स्तर पर प्र. एवं अनु. व्यय में सी.पी.आई. (55 प्रतिशत भार) और संचरण के लिए विशेष डब्ल्यू.पी.आई. (45 प्रतिशत भार) के भारित औसत पर वृद्धि की गई है। प्र. एवं अनु. व्यय के परिकलन के लिए सबसे पहले पथों (लाइनों) और उप-केन्द्रों के सम्बन्ध में अलग-अलग तौर पर प्र. एवं अनु. व्यय के वार्षिक आंकड़ों को हिसाब में लिया जाना है। यदि पथों और उप-केन्द्रों के सम्बन्ध में प्र. एवं अनु. व्यय के आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं तो उस मामले में उप-केन्द्रों और पथों के लिए प्र. एवं अनु. व्यय 30:70 के अनुपात पर संविभाजित किया जाएगा। इन आंकड़ों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से पथों के लिए प्र. एवं अनु. व्यय को पथ की लम्बाई से विभाजित

किया गया है और उप-केन्द्रों के लिए प्र. एवं अनु. व्यय को क्षेत्र में खण्डों की संख्या से विभाजित किया गया है। दो वर्षों (1998-99 और 1999-2000) की वृद्धि को सामान्य प्रचालन और अनुरक्षण व्यय की पांच वर्षों की औसत से समायोजित किया गया है जिसे वर्ष 1999-2000 के लिए पथ की लम्बाई की प्रति यूनिट और प्रति खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण व्यय का मानदण्ड माना जा सकता है।

3. खण्ड 4.4(घ)(2) में विहित पथ की लम्बाई का प्रति यूनिट ए.वी.ओ.एम.एल.एल. औसत प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय और प्रति खण्ड का ए.वी.ओ.एम.बी.एन. औसत प्र. एवं अनु. व्यय के परिकलन के सूत्र आयोग के दिनांक 21.12.2000 के आदेश से भिन्न हैं क्योंकि सामान्यकरण करने के बाद ही औसत अपेक्षित होता है। यद्यपि मूल विनियमों में औसत निकालने के बाद ही सामान्यकरण किया गया है और इसके कारण ही मूल विनियमों के खण्ड 4.4(घ)(2) में दिए गए सूत्रों में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। ए.वी.ओ.एम.एल.एल. और ए.वी.ओ.एम.बी.एन. के परिकलन के लिए संशोधित सूत्रों को अधिसूचित किया जा रहा है ताकि उन्हें आयोग के निर्देशों के समान बनाया जा सके।

4. मूल विनियमों के खण्ड 4.8 में भी संशोधन की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई है ताकि इस खण्ड को याचिका संख्या 86/2000 में दिए आयोग के दिनांक 8.12.2000 के निर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके।

5. ये संशोधन निबंधन और शर्तों को विषय वस्तु पर आयोग के आदेशों के अनुरूप करने के लिए किए जा रहे हैं और इन्हें उसी तारीख से प्रभावी बनाया जा रहा है जिस तारीख से मूल विनियम प्रभावी हुए थे।

6. मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III; खण्ड 4 में दिनांक 26.3.2001 को प्रकाशित हुए थे। मूल विनियमों में पहला संशोधन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2001 के माध्यम से किया गया था जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III; खण्ड 4 में दिनांक 24.9.2001 को प्रकाशित किया गया था तथा उसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2002 के माध्यम से और संशोधन किया गया जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III; खण्ड 4 में दिनांक 11.7.2002 को और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2003 जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III; खण्ड 4 में दिनांक 2 मई, 2003 को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd May, 2003

No. L-7/25(2)/2001-CERC.—In exercise of powers conferred on it by Section 55 of Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (14 of 1998), the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to further amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2001 hereinafter referred to as the Principal Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

These regulations may be called Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2003.

- (1) The regulations shall be deemed to have come into force with effect from 1.4.2001.

2. AMENDMENT OF CLAUSE 3.6

The formula for calculation of Incentive shall be deemed to have been substituted as under :

$$\text{Incentive} = \frac{(\text{Annual Fixed Cost} - \text{Primary Energy Charges}) \times (C_{IA} - C_{IN})}{100}$$

X Where C_{IA} is the Capacity Index Achieved and C_{IN} is the Normative Value of Capacity Index, in percentage.

3. AMENDMENT OF CLAUSE 4.4(d)(ii)

The formula for calculation of AVOMLL and AVOMBN shall be deemed to have been substituted as under:

$$\text{AVOMLL} = \frac{1}{5} \sum_{i=1995-1996}^{1999-2000} \frac{|\text{OML } i|}{|\text{LL } i|}$$

$$\text{AVOMBN} = \frac{1}{5} \sum_{i=1995-1996}^{1999-2000} \frac{|\text{OMS } i|}{|\text{BN } i|}$$

4. AMENDMENT OF CLAUSE 4.8

Clause 4.8 of the Principal Regulations shall be substituted as under :

4.8 Principle of sharing of Transmission Charges of the Inter-regional assets including HVDC system by the beneficiaries

The Transmission Charges of the inter-regional assets including HVDC system shall be shared in the ratio of 50:50 by the two contiguous regions. These Transmission Charges shall be recovered from the beneficiaries by pooling 50% of the Transmission Charges for such inter-regional assets with the Transmission Charges for transmission system of the respective regions for facilitating further recovery from the beneficiaries within the region.

A. K. SACHAN, Secy.

[ADVT. III/TV/150/2003/Exty.]

EXPLANATORY MEMORADUM

In Clause 3.6 of the Principal Regulations the formula for calculation of incentive has been prescribed. As the values of Capacity Index Achieved (C_{I_A}) and Normative Capacity Index (C_{I_N}) are always in percentage, in order to arrive at the amount of incentive in absolute number, the value arrived at by the given formula should be divided by 100. Accordingly, Clause 3.6 of the Principal Regulations is being amended.

2. O&M norms for inter-state transmission formed the subject matter of Petition No. 86/2000. The Commission vide its order of 21.12.2000 had decided to use actual O&M data for the base years for computing base level O&M expenses for the tariff period beginning 1.4.2001. As per the order, the base level O&M expenses are escalated on the weighted average of CPI (55% weightage) and special WPI for transmission (45% weightage). The starting point for calculation of O&M expenses is to be the yearly data for O&M expenses for the lines and sub-stations separately. In case O&M expenses for the lines and sub-stations are not available separately, the annual O&M expenses are to be apportioned in the ratio of 30:70 to arrive at O&M expenses for the sub-stations and lines. In order to normalise this data, O&M expenses for the lines (OML) are divided by the line length (LL) and O&M expenses for the sub-stations (OMS) are divided by the number of bays (BN) in the region. The five years average of normalised O&M expenses adjusted for inflation for two years (1998-99 and 1999-2000) serves as norm for O&M expenses per unit of line length and per bay for the year 1999-2000.

3. The formulae for calculation of AVOMLL average O&M expenses per unit of line length and AVOMBN average O&M expenses per bay has been prescribed in Clause 4.4 (d)(ii) are at variance with the Commission's order dated 21.12.2000, since the average is required to be done after normalisation, though in the Principal Regulations, normalisation has been done after averaging and this necessitated correction of the formulae given in Clause 4.4 (d) (ii) of the Principal Regulations. The corrected formulae for calculation of AVOMLL and AVOMBN are being notified to bring them at par with the directions of the Commission.

4. Amendment of Clause 4.8 of the Principal Regulations is also necessitated to bring this Clause at par with the directions contained in the Commission's order dated 8.12.2000 in Petition No.86/2000.

5. The amendments are being made to bring the terms and conditions in tune with the Commission's orders on the subject, and hence are being given effect from the date from which the Principal Regulations are applicable.

6. The Principal Regulations were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 26.3.2001. The Principal Regulations were first amended through The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2001 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 24.9.2001 and were further amended through the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2002 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 11.7.2002 and the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment Regulations, 2003 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 2nd May 2003.